


20/8/24

पञ्जावली पेन्स ड्रॉ, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा ७७0 दिखे अथवा विपक्षीगण को कितनी वार नक नक कर आवाफे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इसके विरुद्ध एकरफा कार्यवाही दिखे जाने का भाइेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का शा ७७0 पत्र स्वीकार किया जाकर निष्पक्ष रूपसे लिखा जाकर शा ७७0 दिया गया। पञ्जावली फंसल शुभारंभ कर जम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा